राजस्थान सरकार
खान एवं पेट्रोलियम विभाग

क्रमांक प. 12(73)खान/ग्रुप–1/2016 जयपुर, दिनांकः

<u>आदेश</u>

1. योजना का नाम एवं आरंभ होने की तिथिः–

1.1 इस योजना को **"विभागीय बकाया एवं ब्याज माफी योजना"** कहा जावेगा।

1.2 यह योजना आदेश जारी होने की तिथि से लागू होगी।

1.3 यह योजना केवल अप्रधान खनिजों के प्रकरणों पर लागू होगी।

2. योजना की प्रभावी अवधिः–योजना इस आदेश के जारी होने की तिथि से दिनांक 31.03.2025 तक प्रभावी रहेगी।

3. योजना की प्रायोज्यता (Applicability):–

3.1 यह योजना अप्रधान खनिज के खननपटटों/क्वारी लाइसेंसों/बजरी हेतु जारी अस्थाई कार्यानुमति (T.W.P.) के स्थिरभाटक/रेन्ट, अधिशुल्क, अधिक अधिशुल्क, शास्ति, आर.सी.सी./ई.आर.सी.सी. ठेकों की बकाया, परमिट/एस.टी.पी. एवं निर्माण विभाग के ठेकेदारों की बकाया के प्रकरणों की बकाया पर लागू होगी।

परन्तुः–

1. डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी. की बकाया पर यह योजना लागू नहीं होगी।
2. एन.जी.टी. अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई शास्ति राशि या अन्य राशि पर ये योजना लागू नहीं होगी।
3. आदेश जारी होने की तिथि को प्रभावशील खनिज रियायतों पर भी यह योजना लागू नही होगी।

3.2 इस योजना में वे प्रकरण शामिल होंगे जिनमें बकाया की मांग दिनांक 31.03.2023 तक की अवधि से संबंधित है।

3.3 इस योजना में ऐसे प्रकरणों के निस्तारण पर भी विचार किया जा सकेगा जिनमें किसी न्यायालय अथवा अपील/रिवीजन में प्रकरण लम्बित हैं बशर्ते कि बाकीदार द्वारा सम्बन्धित न्यायालय से वाद विड्रॉ कर लिया जावे/वाद विड्रो करने हेतु न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की जावे तथाउसके द्वारा संबंधित कार्यालय में इस आशय की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की जावे कि भविष्य में वह इस योजना के तहत निस्तारित किये गये प्रकरणों की बकाया के सम्बन्ध मेंकिसी न्यायालय में चुनौती देने से निरूद्ध रहेगा।

3.4 इस योजना का लाभ उन्हीं बाकीदारों को देय होगा जिनके द्वारा योजना के अंतर्गत जमा करवाई जाने वाली राशि योजना के लागू होने की तिथि से योजना के प्रभावी तिथि तक जमा करवा दी जायेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashu Chaudhary
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2024.09.19 13:35:21 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 10574604

3.5 यह योजना इस आदेश के जारी होने की तिथि को शेष बकाया पर लागू होगी। आदेश जारी होने की तिथि से पूर्व जमा करवाई जा चुकी राशि तत्समय के दायित्वों के अधीन मानी जाएगी एवं उसका किसी प्रकार का रिफण्ड/समायोजन इस योजना में नहीं किया जाएगा।

3.6 योजना के तहत बकाया की गणना में रॉयल्टी की वही दरें काम मे ली जायेंगी जो प्रकरण के समय लागू थी।

3.7 अगर किसी बाकीदार द्वारा पूर्व मे ही समस्त अधिशुल्क/अधिक अधिशुल्क अथवा अन्य बकाया की मूल राशि पूर्व मे ही जमा करवा दी गई है तथा केवल ब्याज राशि ही शेष है, तो शेष ब्याज राशि इस योजना के तहत सम्बन्धित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता द्वारा माफ की जा सकेगी, भले ही आवेदक द्वारा विधिवत आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया हो।

4. खनन पट्टाधारी (खण्डित/प्रभावशील) द्वारा मासिक रिटर्न प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब/रिटर्न प्रस्तुत नहीं करने से आरोपित/देय शास्ति के प्रकरणों में यदि मासिक रिटर्न दिनांक 31.03.2025 तक प्रस्तुत कर दिये जाते है तो समस्त शास्ति राशि माफ की जावेगी।

5. विभिन्न प्रकार की बकाया के प्रकरणों के निस्तारण हेतु अनुदेशः—

5.1 योजना की शर्तेः— बाकीदार द्वारा निम्नानुसार बकाया की राशि जमा करा देने पर शेष बकाया तथा समस्त ब्याज माफ किया जाएगाः—

5.1.1 खनन पट्टों/क्वारी लाइसेंस/बजरी हेतु जारी अस्थाई कार्यानुमति (T.W.P.) व ईंट भट्टा परमिटों की बकाया के प्रकरणों में निम्नानुसार मूल बकाया जमा कराने पर शेष मूल बकाया राशि एवं सम्पूर्ण ब्याज राशि माफ की जावेगी :—

बकाया की अवधि	**मूल बकाया का प्रतिशत जो जमा करवाया जाना है**
दिनांक 31.03.1990 तक की बकाया	10%
दिनांक 01.04.1990 से 31.03.2000 तक की बकाया	20%
दिनांक 01.04.2000 से 31.03.2010 तक की बकाया	40%
दिनांक 01.04.2010 से 31.03.2020 तक की बकाया	50%
दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2023 तक की बकाया	60%

5.1.2 नियमों की पालना नहीं करने यथा माईनिंग प्लान/पर्यावरण स्वीकृति/कन्सेन्ट टू ऑपरेट से अधिक उत्पादन करने के दोष पर तथा किसी निर्णय के कारण खनिज रियायत को null and void घोषित किए जाने पर, घोषित करने की तिथि से पूर्व की अवधि में खनिज के हुए निर्गमन को अवैध निर्गमन मानकर नियमानुसार की गई शास्ति की दिनांक 31.3.2023 तक की बकाया राशि का 20% जमा कराने पर शेष बकाया राशि एवं सम्पूर्ण ब्याज राशि माफ की जावेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashu Chaudhary
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2024.09.19 13:35:21 IST
Reason: Approved

5.1.3 आर.सी.सी./ई.आर.सी.सी. ठेकों की बकाया के मामलों में ठेके जो खण्डित किये गये एवं ठेके जो पूर्ण ठेका अवधि तक प्रभावशील रहे, में निम्नानुसार मूल बकाया जमा कराने पर शेष मूल बकाया राशि एवं सम्पूर्ण ब्याज राशि माफ की जावेगी:–

बकाया की अवधि	मूल बकाया का प्रतिशत जो जमा करवाया जाना है	
	ठेके जो खण्डित किये गये	ठेके जो पूर्ण ठेका अवधि तक प्रभावशील रहे
दिनांक 31.03.2010 तक की बकाया	30%	40%
दिनांक 01.04.2010 से 31.03.2022 तक की बकाया	40%	50%

5.1.4 एस.टी.पी. एवं निर्माण विभाग के ठेकेदारों के विरुद्ध दिनांक 31.03.2023 तक शास्ति स्वरूप कायम की गई मांग के प्रकरणों में यदि बकाया राशि की 20% राशि जमा करा दी जाती है तो शेष बकाया राशि व सम्पूर्ण ब्याज राशि माफ की जावेगी।

5.1.5 अप्रधान खनिज की खण्डित/अध्यर्पित/अवधि समाप्त खनिज रियायतों यथा खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस/ईंट मिट्टी परमिट/बजरी खनन हेतु जारी अस्थाई कार्यानुमति के रियायतधारकों द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से खनिज के बिना रवन्ना/रवन्नाओं का दुरूपयोग कर निर्गमन करने के मामलों यथा स्वयं की लीज के उत्पादन को किसी अन्य लीज की रवन्नाओं से निर्गमन करना, अपने स्वयं की एक लीज के उत्पादित खनिज के लिये अपनी अन्य लीज की रवन्नाओं का उपयोग करना, किसी अन्य व्यक्ति की लीज से उत्पादित खनिज के लिये स्वयं की लीज के लिये जारी रवन्नाओं का उपयोग करना इत्यादि में निम्नानुसार राशि जमा कराने पर शेष बकाया राशि माफ की जावेगी :–

बकाया की अवधि	बकाया का प्रतिशत जो जमा करवाया जाना है
दिनांक 31.03.2021 तक की बकाया	10%
दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक की बकाया	15%

5.1.6 अप्रधान खनिज की खण्डित/अध्यर्पित/अवधि समाप्त खनिज रियायतों यथा खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस/ईंट मिट्टी परमिट/बजरी खनन हेतु जारी अस्थाई कार्यानुमति के रियायतधारकों द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर किये गये अवैध खनन के प्रकरणों में निम्नानुसार राशि जमा कराने पर शेष बकाया राशि माफ की जावेगी :–

बकाया की अवधि	बकाया का प्रतिशत जो जमा करवाया जाना है
दिनांक 31.03.2021 तक की बकाया	5%
दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक की बकाया	15%

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashu Chaudhary
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2024.09.19 13:35:21 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 10574604

6 प्रकरणों का निस्तारण एवं शक्तियाँ–

प्रकरणों का निस्तारण सम्बन्धित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता द्वारा किया जाएगा जिसमें निर्धारित प्रारूप में विवरण, यथा जमा करवाई गई राशि एवं माफ की गई मूल एवं ब्याज राशि का विवरण अंकित किया जाएगा। उक्त आदेश अधिकतम 15 दिवस की अवधि में पारित किये जायेंगे। सम्बन्धित अधीक्षण खनि अभियन्ता द्वारा अपने वृत की प्रगति रिपोर्ट, यथा निस्तारित किये गये प्रकरणों की संख्या, जमा करवाई गई राशि एवं माफ की गई मूल एवं ब्याज राशिका विवरण, पाक्षिक रूप से सोमवार को वित्तीय सलाहकार को प्रेषित की जाएगी एवं योजना समाप्ति पर पूर्ण सूचना प्रेषित की जाएगी।

यह आदेश वित्त (राजस्व) विभाग की सहमति आई.डी. संख्या 252400270 दिनांक 18.09.2024 से जारी किया जाता है।

आज्ञा से

(आशु चौधरी)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, खान मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
3. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान,जयपुर।
6. निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashu Chaudhary
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2024.09.19 13:35:21 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 10574604